2019/00188

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 140/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. अंकुर गुगनानी पुत्र श्री विजय गुगरानी
2. श्रीमती कविता गुगनानी पत्नी विजय कुमार गुगनानी
3. विजय कुमार गुगनानी पुत्र श्री जगदीश लाल
4. अंचित गुगनानी पुत्र विजय कुमार गुगनानी

समस्त जाति अरोडा निवासी 12/14, 16 मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ।
2. महावीर प्रसाद पुत्र लल्लूराम,
3. मक्खन लाल पुत्र आनन्दराम

जाति खटीक, निवासी ग्राम नारेहडा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।
5. उप पंजीयक कोटपूतली तहसील कोटपूतली ।
6. सीताराम पुत्र छोटूराम माली निवासी ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली, हाल निवासी वार्ड नं. 3, डाबला रोड, मंगल उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास ढाणी सैसाला, कोटपूतली।
7. मदन लाल पुत्र लल्लूराम खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम नारेहडा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 70/2014 ब उनवानी महावीर बनाम विजय कुमार व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित ।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वाद में कुछ भू–माफिया लोगों द्वारा मुतवादिया को अवैद्य ट्रान्जेक्शन के माध्यम से भू–माफिया लोगों से खरीद करते हुये मुतवादिया आराजीयात में मजाहमत मदाखलत कारित करने लगे तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी अपने प्रभाव में लेकर प्रकिया को पूणतः अवैद्य प्रकिया के माध्यम से बिना सम्यक विधिक प्रक्रिया अपनाये पत्रावली में बाला बाला छोटी छोटी तारीख पेशी दर्ज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लगातार अविधिक रूप से प्रकिया अधीन कर रखी है। इसी दरमियान प्रार्थीगण को काश्त शुदा आराजीयात को अवैद्य भू–माफिया द्वारा मौके पर कब्जा करने की धमकी दी गई तथा

जिला कलक्टर
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय से तत्काल फैसला करवाने की धमकी देने के पश्चात एवं प्रकरण की वास्तविक नोयत के मध्यनजर प्रार्थीगण को यह आशंका कारित हो गई कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण को कतई न्याय की आशंका नहीं रह जाने के कारण उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 व उसके साथ तथाकथित अभिभाषक उदय सिंह को कई मर्तबा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रार्थीगण के प्रकरण के बारे में कई मर्तबा वार्तालाप करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया । तत्पश्चात उपरोक्त अभिभाषक द्वारा मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की गई जिसके विरूद्व प्रार्थीगण ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 107–116, जाब्ता फौजदारी का भी प्रस्तुत किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के परिसर में उक्त अभिषाषक अपने प्रकरणों की पैरवी करते है तथा उनका बैठक स्थान भी उसी न्यायालय परिसर में है तथा प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली क्षेत्र के निवासी नहीं है तथा उक्त अभिभाषक उदयसिंह जी द्वारा वहां प्रकरण में अपने स्तर पर रूची लेने तथा मुतवादिया आराजीयात पर मजाहमत मदाखलत कारित करने से प्रार्थीगण काफी परेशान है तथा कोटपूतली न्यायालय परिसर क्षेत्र में प्रार्थीगण को उक्त अभिभाषक की उपस्थिति के कारण किसी भी अवधि में न्याय की उम्मीद अब ना के बराबर हो चुकी है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को तहसील परिसर कोटपूतली से अन्य तहसील में स्थानान्तरण किया जाना कानूनन आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 श्री महावीर स्वयं उपस्थित है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. उभयपक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र तहसील में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 70/2014 ब उनवानी महावीर बनाम विजय कुमार व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर मामले में धारा 42 आर टी ए के उल्लंघन की भी जांच करते हुये उभय पक्ष को सुन कर प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति पालनार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर